भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 46AD 989737

[illegible]

वाराणसी

11.2.2019

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम श्री हरिश्चन्द्र विद्यालय,
2. संस्था का पता मैदागिन,बनारस
3. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग–

1.संरक्षक मण्डल–

श्री हरिश्चन्द्र विद्यालय का शासन संरक्षक मण्डल द्वारा होगा और उसके सदस्यों की संख्या तीस से कम तथा चालीस से अधिक नहीं होगी। स्वर्गीय भारतेन्दु श्री हरिश्चन्द्र के परिवार का एक सभ्य सदस्य सदा संरक्षक मण्डल का एक सदस्य रहेगा।

2.संरक्षक मण्डल के कार्यकर्ता–

(अ) मण्डल के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे,जो प्रति पाँचवें वर्ष मण्डल द्वारा अपने सदस्यों में चुने जाया करेंगे।

1. सभापति
2. चार उपसभापति
3. मन्त्री
4. चार संयुक्त मन्त्री
5. व्यवस्थापक

(ब) मण्डल को अधिकार होगा कि मन्त्री तथा व्यवस्थापक या संयुक्त मन्त्री तथा व्यवस्थापक के पदों को सम्मिलित कर दें।

(स) मण्डल को अधिकार होगा कि एक उपसभापति को एक से अधिक कार्यकारिणी समितियों का अध्यक्ष नियुक्त करें।

3.सदस्यता अनधिकरण–

यदि मण्डल का कोई सदस्य बिना किसी विशेष कारण के उसके तीन अधिवेशनों में लगातार अनुपस्थित रहेगा या कोई सदस्य अपने किसी कृत्य से या अकृत्य से अपने को मण्डल का योग्य सदस्य होने के अयोग्य बना लेता तो मण्डल उससे लिखित विवृत्ति माँग सकेगा और उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई संख्या की सहमति से लिखित प्रस्ताव पर उसे सदस्यता से हटा सकेगा।

4.मण्डल के अधिकार

मण्डल इस संस्था की सर्वोच्च शासन कारिणी समिति होने से कुल कार्य विशेष कर निम्नलिखित कर सकेगा–

(अ) प्रति पाँच वर्ष निर्वाचन करना।

1. मण्डल के पदाधिकारियों का।
2. मण्डल के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न शिक्षण इकाइयों के लिए कार्य–कारिणी समितियों का।
3. कार्यकारिणी समितियों के पदाधिकारियों का।

प्रदीप कुमार अग्रवाल

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

11-2-2015

(आ) भिन्न–भिन्न इकाइयों के वार्षिक आय–व्यय तथा अनुमान पत्र स्वीकार करना।

(इ) विशेष व्यय के लिए धन स्वीकार करना।

(ई) भिन्न–भिन्न इकाइयों के प्रबन्ध का साधारणतः निरीक्षण करना।

(उ) वैधानिक तथा न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही के लिए आदेश देना।

5.मण्डल के सदस्यों का चुनाव

मण्डल अधिक मत से अपने किसी अधिवेशन में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये नये या विशिष्ट सदस्य चुन सकेगा।

6.समितियों का संगठन तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन

मण्डल संस्था के पदाधिकारियों के रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति या नयें पदाधिकारियों का चुनाव और समय–समय पर आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समितियों का संस्थान अपने किसी अधिवेशन में बहुमत से कर सकेगा।

7.सभापति

मण्डल के अधिवेशनों में सभापति या उनकी अनुपस्थिति में कोई उपसभापति कार्य संचालन कर सकेगा। सभापति तथा उपसभापतियों की अनुपस्थिति में मण्डल उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेगा और अध्यक्ष को सम्मत पड़ने पर ऐ निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

8.अधिवेशन

8. (अ) साधारणतः वर्ष में मण्डल के दो अधिवेशन होंगे पर सभापति, मंत्री या संयुक्त मंत्री स्वेच्छा से स्वतः या दस सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रस्ताव पर किसी भी समय अधिवेशन बुला सकेगा।

(आ)मण्डल के अधिवेशनों की सूचना कम से कम एक सप्ताह पहले दी जायगी और उस सूचना में यथासंभव संक्षेप में होने वाले कार्यों का विवरण दिया जायेगा।

(इ)साधारण अधिवेशनों की कार्य निर्वाहक संख्या पाँच होगी पर बुलाये गये अधिवेशन की दस होगी।

(ई)यदि कार्य निर्वाहक संख्या पूरी न हो तो उस अधिवेशन का अध्यक्ष उसे दूसरी तारीख के लिए स्थगित कर देगा, जिस दिन अधिवेशन का कार्य संख्या पूरी होने या न होने पर भी किया जा सकेगा पर यह बुलाये गये अधिवेशन के लिए लागू न होगा।

9.मन्त्री या व्यवस्थापक

9.(क) मन्त्री या संयुक्त मंत्री मण्डल की कार्यवाही को स्वयं लिखेंगे और वे ही उनके आदेशों को पूरा करने के लिए साधारणतः उत्तरदायी होंगे।

सत्य प्रतिलिपि

(घ) व्यवस्थापक उन सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम के अनुसार उन्हें प्राप्त होंगे या भविष्य में उन्हें प्राप्त होंगे तथा उसमें निहित कर्त्तव्यों का पालन संस्था की आज्ञाओं और आदेशानुसार करेंगे।

10.कार्य समितियों का निर्वाचन

मण्डल प्रति पाँच वर्ष पर संस्था की भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिए निम्नलिखित कार्यकारिणी समितियों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगा। इन समितियों की सदस्यता इस मण्डल के सदस्यों तथा उन व्यक्तियों में भी जिनके नाम उस समय प्रचारित किसी विधान के अनुसार रखने पड़े, सीमित रहेगी।

1. हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय
2. हरिश्चन्द्र इण्टर कॉलेज
3. हरिश्चन्द्र बाल विद्यालय
4. हरिश्चन्द्र बालिका इण्टर कालेज
5. प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए जो इसके अनन्तर मण्डल द्वारा प्राप्त की जाय या आरम्भ की जाय।

11 कार्यकारिणी समितियों के पदाधिकारी

प्रत्येक कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे-

(अ) अध्यक्ष

(आ) व्यवस्थापक

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय समिति

12.(अ) हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय कार्यकारिणी समिति में ~~कोरम~~ सदस्य होंगे और उसका निर्माण हिन्दू विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय के, जिससे महाविद्यालय उस समय सम्बद्ध हो, विधानों के अनुसार किया जायेगा।

(आ) मण्डल अपने एक उपसभापति को समिति का अध्यक्ष चुनेगा।

(इ) मण्डल महाविद्यालय के लिए एक व्यवस्थापक चुनेगा जो उस कार्यकारिणी समिति के मन्त्री का भी कार्य करेगा।

(ई) व्यवस्थापक साधारणतः मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगा और कालेज का प्रधान कार्यकर्ता होगा।

(उ) कार्यकारिणी समिति के ये कर्त्तव्य होंगे-

1. चन्दे या दान में मिले धन को प्राप्त करना तथा संचय करना और उसे संस्था के उद्देश्यों के लिए व्यय करना या मण्डल के आदेशानुसार संस्था के नाम में जमा करना।
2. अनुमान पत्रकों के भीतर सभी व्ययों की अवस्थानुसार जाँच करना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना।

सत्य प्रतिलिपि

11.2.2015

3. संरक्षक मण्डल के आदेशानुसार हिसाब रखना और मण्डल के प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित करना।
4. वार्षिक आय व्ययक तथा अनुमानपत्रक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रस्तुत करना तथा स्वीकृति एवं आदेश के लिए मण्डल में उपस्थित करना।
5. भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का स्तर निश्चित करना
6. मण्डल द्वारा निर्देशित किसी कार्य की पूर्ति के लिए उपसमिति नियुक्त करना।
7. समिति की सदस्यता में रिक्त हुए स्थानों की अपने अवधि काल के लिए पूर्ति करना।
8. व्यवस्थापक की संस्तुति पर अपने सदस्यों में से एक सहायक व्यवस्थापक का निर्वाचन करना।
9. विद्यालयों के प्राध्यापकों को नियुक्त करना, हटाना और सभी अधिकारों का उपयोग करना।
10. प्राध्यापक वर्ग के वेतन, पुरस्कार तथा विशिष्ट सुविधाएं निश्चित करना।
11. और साधारणतः विद्यालय के सभी कार्यों पर शासन रखना।

13.हरिश्चन्द्र इण्टर कॉलेज समिति

13(अ) हरिश्चन्द्र इण्टर कॉलेज कार्यकारिणी समिति में पन्द्रह सदस्य होंगे और उसका निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार के समय-समय पर इस सम्बन्ध में निकाले हुए आदेशों के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

(आ)नियम 12 की उपधाराओं आ,इ,ई,क और उनके विषय इस समिति पर भी लागू होंगे।

14.हरिश्चन्द्र बाल विद्यालय

14(अ) हरिश्चन्द्र बाल विद्यालय कार्यकारिणी समिति के 11 सदस्य होंगे।

(आ) ,नियम 12 की उपधाराएँ आ,इ,ई ,उ ,क के विषय इस समिति पर भी लागू होंगे।

14.हरिश्चन्द्र बालिका इण्टर कालेज समिति

14क(अ)हरिश्चन्द्र बालिका इण्टर कालेज कार्यकारिणी समिति में 15 सदस्य होंगे।

(आ)नियम 12 की उपधाराओं आ,इ,ई,उ और उनके नियम इस समिति पर भी लागू होंगे।

15.अन्य समितियों

15(अ) मण्डल को अधिकार होगा कि वह प्रत्येक संस्था के लिए जिसे वह भविष्य में प्राप्त करे या आरम्भ करे एक कार्यकारिणी समिति चुने और उसके निर्माण तथा संख्या का इन नियमों के विषय के तथा उसमें किसी अनुबन्ध पत्र के अनुबंधो के अनुसार निश्चित करे, जिसे मण्डल ने किया हो।

(आ) नियम 12 की उपधाराओं आ,इ,ई,उ के नियम इन सभी तथा प्रत्येक समिति पर लागू होंगे।

16.प्रबन्धकार्य की व्यवस्था

सत्य प्रतिलिपि

11.9.2019

16.मण्डल को अधिकार होगा कि किसी एक कार्यकारिणी समिति को एक से अधिक इकाई का प्रबन्ध सौंप दे।

17.कार्यकारिणी समितियों के अधिवेशन

17(अ) कार्यकारिणी समिति का अधिवेशन प्रायः प्रतिमास एक बार हिसाब स्वीकार करने तथा अन्य कार्यों को निपटाने के लिए हुआ करेगा। अध्यक्ष या व्यवस्थापक अवसर समझ कर विशेष अधिवेशन बुला सकेंगे।

(आ) कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों की सूचना पूरे दो दिन से कम की नहीं दी जायेगी और सूचना में होने वाले कार्यों का यथा संभव संक्षेप में विवरण दिया रहेगा। अध्यक्ष या व्यवस्थापक द्वारा विशेष अधिवेशन शीघ्र सूचना देकर बुलाये जा सकेंगे।

(इ) कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन के लिये तीन सदस्य कार्यनिर्वाहक संख्या पूरी करेंगे।

(ई) समिति के अधिवेशनों में अध्यक्ष ही सभापतित्व करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में समिति उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को सभापतित्व करने के लिये चुन लेगी। मतसंख्याओं के बराबर रहने पर अध्यक्ष को एक अधिक मत देने का अधिकार होगा।

18.धन तथा सम्पत्ति का उपयोग

18.इस संस्था की कुल आय तथा सम्पत्ति इसी संस्था के सभी उद्देश्यों या किसी एक उद्देश्य की पूर्ति में केवल लगाई जायेगी और उसका कोई अंश उन व्यक्तियों को जो किसी समय इस संस्था के सभासद रहे हों या उनमें से किसी के द्वारा स्वत्व प्रकट करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को लाभांश भाग या अन्य किसी प्रकार के लाभ के रूप में नहीं दिया जायेगा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। परंतु संस्था के किसी कर्मचारी या सेवक को या उसके सदस्य या सदस्यों को या किसी अन्य को संस्था का कोई कार्य करने के उपलक्ष में सत्य विश्वास के साथ पारिश्रमिक देने में यह नियम बाधा न डालेगा।

19.सदस्यों का उत्तरदायित्व

19.संस्था के संरक्षक मण्डल या किसी प्रबन्ध समिति का कोई एक या अनेक सदस्य संस्था की निधियों के प्रबन्ध या उपयोग से हुई हानि के लिए या संस्था की इमारतों को क्षति पहुँचने या अवनति हो जाने से उसके लिए उत्तरदायी न होगा जब तक कि वह हानि, क्षति, अवनति उसके या उनके जान बूझकर किये गये कृत्य या अकृत्य से न हुई होगी।

20.विलीनीकरण और सम्पत्ति का उपयोग

20.इस संस्था के टूट जाने तथा ऋण तथा देय चुकता कर देने के पश्चात् जो भी सम्पत्ति बच जायेगी वह संस्था के सभासदों में या किसी एक को न दी जायेगी और न वितरित की जायेगी। वरन् वह किसी अन्य सभा या सभाओं, संस्था या संस्थाओं को दी जायेगी या हस्तान्तरित की जायेगी जिसके उद्देश्य इस संस्था के उद्देश्यों के समान होंगे।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

11-2-2015

प्रतिलिपि

इस नियम के अन्तर्गत जो निर्णय होगा उसको सदस्य संख्या की कम से कम 3/5 की स्वीकृति प्राप्ति आवश्यक होगी। यह स्वीकृति सदस्य स्वयं मण्डल के अधिवेशन में उपस्थित होकर अथवा प्रतिनिधि पत्र (प्राक्सी) द्वारा दे सकेंगे। ऐसा न होने पर इसका निर्णय किसी ऐसे न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा होगा जिसे इस प्रकार के निर्णय का अधिकार प्राप्त होगा।

21.कोष

21.संस्था के प्राप्य सभी चन्दे दान तथा अन्य धन को मंत्री, संयुक्त मंत्री या व्यवस्थापक लेगा और उसकी दी हुई रसीद पर्याप्त समझी जायेगी।

22.धन को जमा करना

22.संस्था की सिक्योरिटी तथा अन्य धन जो मण्डल द्वारा समय–समय पर निश्चित किये हुऐ बैंकों या सिक्योरिटी में संस्था के नाम से या संस्था की भिन्न–भिन्न उपसंस्थाओं के नाम से मण्डल के आदेशानुसार रखा जायेगा। उक्त धन पर जो चैक काटे जायेंगे उन पर मण्डल के आज्ञानुसार सभापति, मंत्री, संयुक्त मंत्री या व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होंगे। मण्डल की आज्ञा के बिना कोई धन की जमा नहीं किया जायेगा और न कोई जमा किया धन उगाहा या परिवर्तित किया जायेगा।

23.विनिमय का अधिकार

23.सरकारी सिक्योरिटी और भारतीय कम्पनीज विधान के अन्तर्गत किसी कम्पनी के शेयर या डिबेंचर का जो संस्था के नाम में है, प्रबन्ध या हस्तांतरण सभापति और मन्त्री या सभापति और संयुक्त मंत्री या सभापति और व्यवस्थापक के हस्ताक्षरों से इस सम्बन्ध में मण्डल के प्रस्ताव द्वारा अधिकार प्राप्त करने पर किया जायेगा।

24.अनुबंध

24.सभापति और मन्त्री या संयुक्त मन्त्री या व्यवस्थापक को कुल अनुबन्ध पत्रों, प्रतिज्ञापत्रों, विक्रयपत्रों, पट्टों तथा पत्रकों पर, जो मण्डल तथा अन्य पक्ष के बीच मण्डल द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिये किया जाय, हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। मन्त्री या संयुक्तमंत्री या व्यवस्थापक मण्डल के निर्देश पर संस्था की मुहर उन पत्रों पर कर सकेंगे जिन पर मुहर की आवश्यकता होगी।

25.न्यायालय की कार्यवाही

25.मंत्री या संयुक्त–मन्त्री को अधिकार होगा कि वे विद्यालय की ओर से न्यायालय में दावा, अपील या रजरदारी इत्यादि सभी कार्यवाही पर हस्ताक्षर करें। विद्यालय के विरूद्ध न्यायालय में जो कार्यवाही होगा वह मंत्री या संयुक्त–मंत्री द्वारा ही होगी।

सत्य प्रतिलिपि

प्रार्थी हस्ताक्षर

निष्पादन कर्ता

26.व्यय

6.कार्यकारिणी समिति के व्यय वार्षिक अनुमानपत्रक के भीतर ही सीमित रहेंगे, जिन्हें मण्डल प्रतिवर्ष अपने वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित किये जाने पर स्वीकृत करेगा पर कार्यकारिणी समिति को व्यय एक मद से दूसरे मद में ले जाने का अधिकार रहेगा।

27. उपरोक्त नियम संख्या 18,19,20 में कोई भी परिवर्तन, संशोधन, निरसन तथा परिवर्द्धन के लिये आवश्यक होगा कि नियम संख्या 20 में उद्धत मत गणना की पद्धति का विशेष अधिवेशन बुलाकर उपयोग किया जाय।

28.नियमों की परिवर्तन

28.पूर्वोक्त नियमों में केवल संरक्षक मण्डल को परिवर्तन, संशोधन निरसन तथा परिवर्तन करने का अधिकार है परन्तु कार्यकारिणी समितियाँ अपनी सुविधा के लिए इन नियमों के अनुकूल उपनियम बना सकती हैं जो मण्डल की स्वीकृति पर तथा अधिकार में रहेंगे और मण्डल इन बनाए हुए उपनियमों में परिवर्तन, संशोधन निरसन तथा परिवर्धन कर सकेगा।

29.नियमों की बाध्यता

29इसी उद्देश्य से बुलाए गये मण्डल के विशेष अधिवेशन में उपयुक्त नियमों के स्वीकृत हो जाने पर वे तत्काल कार्य में लाए जायेंगे और मण्डल अपने विशेष अधिवेशन होने के दो सप्ताह के भीतर संस्था के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के निर्वाचन के प्रबन्ध में संलग्न होगा जिनके कार्यकाल की अवधि 31 मार्च सन् 1957 तक रहेगी। इस प्रकार चुनाव हो जाने पर वर्तमान प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी तथा सदस्य गण अपने कार्यों से मुक्त हो जायेंगे।

सत्यापित

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सो०इटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

11.2.2019

प्रतिलिपि कर्ता